

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर
पीठासन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.)
अनवान

प्रपत्र - 5

अन्तिम डिक्री

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हरीसिंह पुत्र देरावरसिंह 2
राजकंवर पत्नी देरावरसिंह 3
सवाईसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति
राजपूत निवासी चूली तहसील व
जिला बाडमेर।

1 गोकलसिंह पुत्र परबतसिंह जाति राजपूत निवासी
चूली तहसील व जिला बाडमेर 2 तहसीलदार
बाडमेर।

दावा बाबत् 88 व 188 रा.का.अ.


मुकदमा नम्बर :- 136/2011


निर्णय दिनांक :-24/08/22

वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24/08/22 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा चूली पटवार क्षेत्र चूली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 44 रकबा 11.00 बीघा भूमि तथा खसरा संख्या 45 रकबा 39.06 बीघा भूमि की तरमीम तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार शुद्ध की जाती है। तहसीलदार बाडमेर मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ट "ब" निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 24/08/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(समदरसिंह भाटी)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	